

न्यायालय— द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद जिला—भिण्ड  
(समक्ष : पी0सी0आर्य)

विविध व्यवहार अपील क्रमांक: 11/2014  
संस्थापन दिनांक 24/1/2014

1. कटोरीबाई पुत्री बहादुर सिंह,  
आयु 88 साल
2. सुशीला पत्नी बादशाह आयु 50 साल,
3. कुसमा पत्नी शेर सिंह आयु 40 साल,
4. रजोला पत्नी महावीर सिंह, आयु 35 साल,
5. गोविन्द सिंह आयु 28 साल,
6. रिकूं आयु 25 साल पुत्रगण रामरूप राठौर  
निवासीगण मालनपुर परगना गोहद  
जिला भिण्ड.....अपीलार्थीगण/वादीगण

वि रू द्ध

रमेश चन्द्र पुत्र बदलीप्रसाद श्रीवास्तव,  
आयु 55 साल, निवासी मालनपुर परगना गोहद  
.....प्रत्यर्थी/प्रतिवादी

---

न्यायालय—द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग—दो, गोहद  
द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक—08 ए/13 में पारित  
आदेश दिनांक 21/12/2013 से उत्पन्न विविध व्यवहार अपील।

---

अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता  
प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा श्री विजय श्रीवास्तव अधिवक्ता

---

—::— आ दे श —::—

(आज दिनांक 01 सितंबर, 2014 को खुले न्यायालय में पारित)

1. अपीलार्थीगण/वादीगण ने यह अपील कुमारी शैलजा गुप्ता, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग दो, गोहद द्वारा अपने न्यायालय के व्यवहारवाद क्रमांक—08 ए/13 में दि. 21/12/2013 को पारित आदेश, जिसके द्वारा अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन पत्र आवेदन—पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 निरस्त किया गया है, जिससे असंतुष्ट होकर पेश की है।
2. प्रकरण में यह निर्विवादित है कि पूर्व सर्वे क्रमांक—255 का नया सर्वे नंबर 194 बना, जो आवादी भूमि घोषित की गयी, जिसमें मकानियत, स्कूल, मरघट बने हुए हैं।

3. विचारण न्यायालय में अपीलार्थीगण/वादीगण कटोरीबाई आदि द्वारा प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु दावा प्रस्तुत किया जाकर एक आवेदन-पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता, 1908 इस आशय का पेश किया गया कि पद क्रमांक-1 में वर्णित सर्वे नंबर को कलेक्टर द्वारा प्र.क्र.-291-2000-01 अ 59 से उक्त भूमि आवादी क्षेत्र घोषित की गयी, और आवेदिका/वादिनी का मकान बना होकर सर्वे नंबर 194 में उसका कब्जा है, जो खसरा संवत् 2057 में वर्णित है । कब्जा दिनांक से वादीगण को उक्त सर्वे नंबर पर कब्जा मंदिर के निर्माण के लिए एवं मकान निर्माण हेतु दिया गया और कुछ खाली जगह रखी गयी थी, जिसपर प्रतिवादी द्वारा जबरन कब्जा किया जा रहा है और निर्माण की धौंस दी जा रही है । जिसके संबंध में पुलिस एवं जन सुनवाई में भी आवेदनपत्र दिया है । जिसमें कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जांच करायी गयी, जांच उपरांत भी प्रतिवादी/प्रत्यर्थी वादिनी/अपीलार्थीगण के कब्जे में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं । वादिनी अत्यंत गरीब एवं दस्युपीड़ित महिला है, जिसके कारण प्रतिवादी जबरन लट्ट के बल पर उसकी जमीन हड़पना चाहते हैं । वादीगण का दावा प्रथम दृष्टया सिद्ध है, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति उसके पक्ष में है । अतः आवेदनपत्र स्वीकार कर पद क्रमांक-1 में वांछित अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान किए जाने का निवेदन किया ।
4. अनावेदक/प्रतिवादी ने जवाब पेश करते हुए विरोध करते हुए व्यक्त किया कि खसरा नंबर का रकवा, लंबाई-चौड़ाई व चतुरसीमा का वादीगण ने उल्लेख नहीं किया, उक्त सर्वे नंबर करीब 25 बीघा का है, जिसमें 250 मकान, मरघट व स्कूल है, जिससे प्रस्तुत आवेदनपत्र अस्पष्ट है । वादिनी/अपीलार्थीगण को दस्यु पीड़िता महिला के रूप में चार प्लॉट मिले थे, जिसमें रिहायसी मकान बने हैं तथा दो प्लॉट विक्रय किए जा चुके हैं । वादी/अपीलार्थीगण उक्त दावे की आड़ में प्रतिवादी की जगह पर कब्जा करने के लिए प्रयत्नशील है । प्रतिवादी, वादिनी की किसी जगह पर कब्जा करना नहीं चाहता है । वादी का दावा प्रथम दृष्टया सिद्ध नहीं है, सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में नहीं है, वादी को किसी प्रकार की अपूर्तनीय क्षति होने की संभावना नहीं है । अतः आवेदनपत्र गलत तथ्यों पर आधारित होने से सव्यय निरस्त किए जाने का निवेदन किया ।
5. यह अपील मुख्य रूप से इस आधार पर पेश की गई है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश विधि के विपरीत होकर अपास्त किए जाने योग्य है क्योंकि वादीगण/अपीलार्थीगण का विवादित भूमि में हक था, इसके बावजूद विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने वादी/अपीलार्थीगण का आवेदनपत्र निरस्त कर दिया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में सर्वे नंबर 255 का नया सर्वे नंबर 194 का कितना रकवा है तथा कितने भाग पर वादिनी काबिज है, लेकिन खसरा नंबर 2057 मौजा मलानपुर में सर्वे नंबर 194 की नकल का अवलोकन नहीं किया, जिसमें रकवा 2.25 अंकित है इसमें अपीलार्थी कटोरी बाई का रकवा 4 विस्वा अंकित है, जिसपर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने कोई विचार किए बिना ही त्रुटिपूर्ण आलोच्य आदेश पारित किया है, जो निरस्ती योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण ने एक दीवानी दावा विवादित भूमि के संबंध में अपीलार्थी/वादिनी कटोरीबाई के विरुद्ध सी.जे. प्रथम गोहद के यहां प्रकरण क्र. -25 ए/11 ई.दी. पेश किया था जिसमें 30/9/11 को निर्णय अनुसार प्रतिवादी

का दावा सिद्ध ना होने से निरस्त किया गया, इसके बावजूद विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से विवेचन करके आवेदनपत्र निरस्त करने में त्रुटि की है, जो निरस्ती योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर प्रश्नाधीन आदेश अपास्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

6. अपील के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि –

1. “क्या आक्षेपित आदेश विधि एवं तथ्यों के प्रतिकूल होकर अपास्त किये जाने तथा अपीलार्थीगण/वादीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदनपत्र स्वीकार किए जाने योग्य है ?”

### विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1

7. उभय पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर मनन किया गया। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन व परिशीलन किया गया, विधि के मान्य सिद्धांतों पर चिंतन किया गया।

8. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने वादिनी/अपीलार्थीगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदनपत्र इस आधार पर निरस्त किया है कि प्रकरण में वादिनी/अपीलार्थी द्वारा विवादित संपत्ति की विषय वस्तु से संबंधित तथ्यों का स्पष्ट विवरण नहीं दिया है कि उन्हें किस सर्वे नंबर का कितना रकवा आवंटित किया गया था ? और कितने भाग पर उनका कब्जा है ? कितने भाग पर रिहायशी मकान, मंदिर बने हैं ? और कितनी भूमि खाली है तथा प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा किस भाग पर कब्जे की कोशिश की जा रही है और वास्तव में विवादित भूमि स्पष्ट नहीं है और उसके संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गये हैं इसलिये प्रथम दृष्टया ही मामला पक्ष में ना पाते हुए और सुविधा संतुलन व अपूर्तनीय क्षति के सिद्धांत भी उसके पक्ष में ना होने से अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदनपत्र निरस्त किया।

9. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अवलोकन करने पर वादी के वाद का आधार प्रत्यर्थी/प्रतिवादी रमेशचन्द्र के अन्य प्रकरण क्रमांक-25ए/2011 खारिज हो जाने के आधार पर डिक्री हेतु प्रस्तुत किया है, जो कि ग्राम मालनपुर तहसील गोहद के विवादित 30 x 30 वर्गफीट भूमि के संबंध में स्वत्व घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा हेतु पेश किया गया था, जिसकी चतुर सीमा में पूर्व में सोबरन सिंह का मकान पश्चिमी में रास्ता, उत्तर में स्वयं रमेश चन्द्र का मकान और दक्षिण में नाथूराम प्रजापति का मकान बताया गया था, पश्चिम में रास्ते के बाद गजेन्द्र सिंह का मकान दर्शाया था।

10. वर्तमान प्रकरण में वादिनी/अपीलार्थीगण का जो वाद स्वत्व घोषणा और स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया है, वह पूर्व सर्वे नंबर 255 के नवीन बने सर्वे नंबर 154 आवादी क्षेत्र घोषित कर निवास के लिए दी गयी भूमि 04 विस्वा पर अतिक्रमण को लेकर स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा मूलतः प्रत्यर्थी/प्रतिवादी रमेशचन्द्र के विरुद्ध चाहा गया है कि वह उनके प्लॉट पर जबरन कब्जा करना चाहता है। किन्तु वादपत्र के साथ कोई विवादित भूमि का नक्शा संलग्न कर पेश

नहीं किया गया है । एक नक्शा जो बनाया गया है वह पंचनामे की शकल में है और उसमें 30 x 30 वर्गफीट की भूमि मंदिर व मकान से दूसरी दिशा में सड़क के बाद दर्शायी गयी है, अर्थात् यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि को अभिवचनों में स्पष्ट नहीं किया गया है, ना ही उसकी कोई चतुर सीमा अभिवचनों में स्पष्ट की गयी है, जबकि सर्वप्रथम विवादित भूमि का स्पष्ट होना आवश्यक है ।

11. उभयपक्षों के अभिवचनों से ऐसा आभास मिलता है कि वादिनी/अपीलार्थी, प्रतिवादी/प्रत्यर्थी के रिहायशी मकान आसपास हैं । जिस 04 विस्वा भूमि को पटटे में मिलना बतायी गयी, उससे संबंधित मूल दस्तावेज अभिलेख पर पेश नहीं किए गये हैं । छाया प्रति के रूप में कटोरीबाई का जो भूखण्ड का प्रमाणपत्र तहसीलदार द्वारा दिया गया है वह भूखण्ड 32 x 40 वर्गफीट का सर्वे नंबर 194 की आवादी की भूमि स्थित ग्राम मालनपुर का दर्शाया गया है, जिसके उत्तर में नाथूराम का मकान, दक्षिण में ओमप्रकाश का मकान, पूर्व में सोबरन का मकान और दक्षिण में पप्पू का मकान बताया है ।
12. अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख पर तहसीलदार गोहद द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त एण्डोरी श्री विनोद सिंह तोमर को सीमांकन रिपोर्ट हेतु दिये गये पत्र के संदर्भ में राजस्व निरीक्षक का पंचनामा दिनांक-26/9/2013 की छायाप्रति संलग्न की गयी है, जिसमें वादी/अपीलार्थीगण को मकान बनाने के लिए पटटे पर आवादी क्षेत्र की भूमि निवास हेतु दिये जाने का उल्लेख है । किन्तु उसमें इस बात का भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि रिकू गोविंद पुत्रगण जगरूप के आवासीय पटटे को हमीर खां पुत्र लियाकत खां द्वारा खण्डे डालकर कब्जा कर ली है । सुशीला पत्नी बादशाह ने आवादी पटटे को रमेश चन्द्र को विक्रय कर दी है और उसमें नाथू, कुमार, पप्पू तोमर, बबलू तोमर को कब्जा दे दिया है । रजोला पत्नी महावीर दास ने आवादी पटटे पर चेताराम को कब्जा दे दिया है, जिन्हें हटवाया जाये या अन्य आवादी क्षेत्र में पटटा दिया जाये ।
13. यह उचित सीमांकन रिपोर्ट नहीं कही जा सकती, क्योंकि उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख नहीं आया है कि वादी/अपीलार्थीगण को कितनी-कितनी भूमि के पटटे हुए थे ? उन पर कितने पर उनका कब्जा है ? कितनी भूमि अतिक्रमण हुई है ? जो अभिवचन किए गये हैं, उसमें प्रतिवादी/प्रत्यर्थी रमेशचन्द्र के द्वारा चार विस्वा भूमि में से दो विस्वा अपीलार्थीगण के द्वारा विक्रय की जाना शेष में उनके मकान, मंदिर बने होना कहा गया है । अभिलेख पर जो अन्य दस्तावेज पेश हुए हैं, जिसमें इस बात का तथ्य भी आया है कि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी का मकान 65 x 50 वर्गफीट वर्गफीट में है तथा 04 विस्वा की भूमि में से 50 x 45 या 50 वर्गफीट में वादी/अपीलार्थी के मकान 15 x 10 वर्गफीट फीट में मंदिर 05 फीट रास्ता बना है । यह भी जांच का विषय रहेगा कि क्या अपीलार्थी/वादिनी के द्वारा कोई भूमि विक्रय की गयी या नहीं ? और विक्रय की गयी तो उसकी वैधानिक स्थिति क्या अपीलार्थी स्तर पर तर्क के दौरान प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क में बताया है कि मौके पर कोई जगह खाली नहीं है, वादी/अपीलार्थी के 04 प्लॉट में से 02 विक्रय किए जा चुके हैं । 02 में उनके मकान व मंदिर बने हैं और कोई भूमि शेष नहीं है तथा प्रत्यर्थी/प्रतिवादी का दो मंजिला मकान बना है और वह कोई अग्रिम निर्माण कार्य नहीं कर रहा है ।

14. अभिलेख पर यह भी स्पष्ट नहीं है कि किस भूमि पर अतिक्रमण या निर्माण का प्रयास किया जा रहा है, जैसा कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपने आलोच्य आदेश में स्पष्ट किया है और यह सुस्थापित विधि है कि अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदनपत्र का निराकरण करते हुए यह विचार करना होता है कि क्या प्रथम दृष्टया प्रबल मामला आवेदक के पक्ष में है ? क्या सुविधा संतुलन भी उसके पक्ष में है ? क्या अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में अपूर्तनीय क्षति होने की प्रबल संभावना है ? तभी अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित की जा सकती है । वर्तमान मामले में खुली भूमि पर आदेश और अतिक्रमण को लेकर विवाद है । ऐसे में दोनों पक्षों के प्लॉटों का एक साथ सीमांकन से ही स्थिति स्पष्ट हो सकती है कि क्या वास्तव में कोई पक्ष के द्वारा किसी अन्य पक्ष की भूमि या प्लॉट पर किसी प्रकार का अतिक्रमण किया गया है ।
15. जहां तक निर्माण का प्रश्न है, स्वयं प्रतिवादी/प्रत्यर्थी ने निर्माण ना करने संबंधी अंडरटेकिंग मौखिक रूप से दी है तथा सुस्थापित विधि मुताबिक न्याय दृष्टांत न्याय दृष्टांत **शिवबिहारी श्रीवास्तव विरुद्ध मेसर्स यूनिवर्सल आई.एन.पी. इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड 1991 भाग-2 एम.पी.डब्ल्यू एन. शॉर्ट नोट-04** में अवलोकनीय है ।
16. वादी/अपीलार्थीगण को पूर्व निराकृत प्रकरण क्रमांक-25ए/2011 ई. दी. निर्णय दिनांक-30/9/2011 का इस स्तर पर कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता, जब तक कि भूमि स्पष्ट ना हो और सीमांकन कराया जाकर स्थिति स्पष्ट करायी जा सकती है । ऐसी स्थिति में इस स्तर पर किसी भी प्रकार से अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित किए जाने के लिए तीनों महत्वपूर्ण बिन्दु वादी/अपीलार्थीगण के पक्ष में होना प्रतीत नहीं होते हैं और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश में इस प्रकार कोई तथ्यात्मक या विधि संबंधी त्रुटि नहीं पायी जाती है ।
17. फलतः आलोच्य आदेश की पुष्टि करते हुए अपील इस निर्देश के साथ निरस्त की जाती है कि वह विचारण न्यायालय में सीमांकन की प्रार्थना करने को स्वतंत्र रहेगा ।
18. प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए उभयपक्ष अपना-अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे । जिसमें अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर या सूची अनुसार जो भी कम जो जोड़ जावे ।

तदनुसार व्यय तालिका बनायी जावे ।

दिनांक-01/9/2014

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित व  
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

**(पी0सी0आर्य)**

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड

**(पी0सी0आर्य)**

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड